न्यायालय उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

अनुमति वाद संख्या- 07/2022

बिमला देवी वगैरह (विक्रेता)

बनाम्

चन्दन कुमार वगैरह (क्रेता)

आदेश

प्रस्तुत वाद बिमला देवी पति- सूर्यमल राम व पानपति कुवंर, पति- स्व0 रामकेश्वर राम, दोनों निवासी ग्राम- मंगरा, पो0+थाना- बरवाडीह, जिला- लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) (बी) के अंतर्गत क्रेता चन्दन कुमार व कंचन कुमार व कुन्दन कुमार सभी के पिता- ललन राम, सभी निवासी ग्राम- मंगरा, पो0+थाना- बरवाडीह, जिला- लातेहार के साथ मौजा- मंगरा, खाता संख्या-192, प्लॉट संख्या- 910 रकबा- $0.22\frac{1}{2}$ ए0 भूमि बिक्री हेतु अनुमति के लिए दिये गये आवेदन पर वाद की कार्यवाही प्रारंभ किया गया। भूमि बिक्री के लिए अनुमति हेतु आवेदन में प्रस्तावित भूमि का अंचल अधिकारी, बरवाडीह से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी है।

अंचल अधिकारी, बरवाडीह के पत्रांक- 90 दिनांक 23.03.2022 द्वारा अनुमति से संबंधित भूमि का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसका अवलोकन किया। अंचल अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य हैं तथा दोनों एक हीं जिला क्षेत्र के निवासी हैं। दोनों अनुसूचित जाति दम्पति के उत्पन्न संतान है। आवेदिका को ससुराल में भूमि खरीदने के लिए रूपये की सख्त आवश्यकता है, जिसका बन्दोबस्त बिना जमीन बिक्री के हो पाना संभव नहीं है। अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार आवेदिका द्वारा धारित भूमि का रकबा- $4.28\frac{1}{3}$ एकड़ है, जिसमें से आवेदिका रकबा- $0.22\frac{1}{2}$ (शून्य दशमलव दो दो पूर्णांक एक बट्टा दो) ए0 भूमि क्रेता चन्दन कुमार कंचन कुमार व कुन्दन कुमार के साथ बिक्री करना चाहतें है। आवेदिका द्वारा अनुमति के लिए प्रस्तावित भूमि के बिक्री के पश्चात् आवेदिका के पास रकबा- $4.05\frac{5}{6}$ एकड़ भूमि शेष बचता है। अंचल अधिकारी, बरवाडीह द्वारा जांच प्रतिवेदन में भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए अनुशंसा किया गया है। अंचल अधिकारी, बरवाडीह के प्रतिवेदन के अनुसार अनुमति हेतु प्रस्तावित भूमि विक्रेता का संयुक्त पैतृक भूमि है, जिसका जमाबन्दी विक्रेता के पिता सुखलाल चमार एवं अन्य के नाम से चलता है। बिक्री की जानेवाली भूमि का आवेदिकागण के नाम से उत्तराधिकारी नमान्तरण नहीं हुआ है तथा अन्य हिस्सेदारों से भूमि बिक्री के लिए सहमति प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, बरवाडीह के जांच प्रतिवेदन तथा आवेदिकागण के नाम से

उत्तराधिकारी नमांतरण नहीं होने एवं अन्य हिस्सेदारों से भूमि बिक्री के लिए सहमति प्राप्त नहीं रहने के कारण बिक्रेता बिमला देवी पति- सूर्यमल राम व पानपति कुवंर, पति- स्व0 रामकेश्वर राम, दोनों निवासी ग्राम- मंगरा, पो0+थाना- बरवाडीह, जिला- लातेहार द्वारा मौजा- मंगरा, खाता संख्या-192, प्लॉट संख्या- 910 रकबा- $0.22\frac{1}{2}$ ए0 भूमि का क्रेता चन्दन कुमार व कंचन कुमार व कुन्दन कुमार सभी के पिता- ललन राम, सभी निवासी ग्राम- मंगरा, पो0+थाना- बरवाडीह, जिला- लातेहार के साथ छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) (बी) के अंतर्गत बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उभय पक्षों को भेजें तथा अभिलेख जिला, अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित।

22/09/

उपायुक्त, लातेहार।

22/09/

उपायुक्त, लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.10.22 13:56:01 +05:30
Location: 192.168.174.97